

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail Ph 0141-2706550

क्रमांक:-एफ-7(4)अकाद/अकाशि/ऑनलाईन/रिफ्रेशर/राज0 विश्व0/जयपुर/2021/253

दिनांक:- 9/11/2021

प्राचार्य,
सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय:-राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में सह/सहायक
आचार्यों के मनोनयन बाबत ।

संदर्भ:-निदेशक, एचआरडीसी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के पत्रांक एचआरडीसी/2021/424, दिनांक
04.10.2021 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 15.11.2021 से 27.11.2021 तक ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स (Refresher Course in Educational Policies & Reforms: New Perspectives (Multidisciplinary) विषय पर आयोजित किया जा रहा है। संदर्भित पत्र की अनुपालना में निम्न सहायक/सह आचार्यों को उक्त ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स हेतु मनोनीत किया जाता है :-

क.सं.	नाम (सह/सहायक आचार्य)श्री/ सुश्री/ डॉ०/ श्रीमती	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स की अवधि	संस्थान जहां से कोर्स किया जाना है
1	सीता मीना	गणित	राजर्षि राजकीय महाविद्यालय, अलवर	रिफ्रेशर	15.11.2021 से 27.11.2021
2	उदयवीर तोसावर	समाजशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, मण्डरायल	रिफ्रेशर	15.11.2021 से 27.11.2021
3	नरेन्द्र निर्वाण	रसायन शास्त्र	राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर	रिफ्रेशर	15.11.2021 से 27.11.2021
4	मनोज कुमार सिनसिनवार	इतिहास	महारानी श्रीजया महाविद्यालय, भरतपुर	रिफ्रेशर	15.11.2021 से 27.11.2021
5	सुनील वर्मा	राजनीति विज्ञान	राजकीय महाविद्यालय, केकडी	रिफ्रेशर	15.11.2021 से 27.11.2021

प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

1. प्राचार्य उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें, जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
2. सम्बन्धित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड-चतुर्थ के लिये आवश्यक कोर्स कर रख हैं, तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर सम्बन्धित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात् एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

(डॉ सौमित्र नाथ झा)

संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

क्रमांक:-एफ-7(4)अकाद/अकाशि/ऑनलाईन/राज0 विश्व0/जयपुर/2021/253

दिनांक :- 9/11/21

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, एचआरडीसी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को उनके पत्रांक एचआरडीसी/2021/424, दिनांक 04.10.2021 के क्रम में प्रेषित है।
2. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(डॉ सौमित्र नाथ झा)

संयुक्त निदेशक(अकादमिक)